

कार्यालय शिक्षा निदेशक(गा०),उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या नियुक्ति(1)मा०/ १३५-२४७ / 2017-18 , दिनांक २८ जून, 2017
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र
संख्या-612/पन्द्रह-2-2017 दिनांक 14 जून, 2017 जो प्रदेश में संचालित राजकीय इंटर
कालेज (वालक) में सह शिक्षा की व्यवस्था लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में है कि छांयाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासन के नियंत्रण से सार
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:-उक्तवत् ।

1-समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

28.6.17
डा०(ऋची गुप्ता)

सहायक शिक्षा निदेशक(सेवा-1)

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०

इलाहाबाद

P.T.C.

प्रेषक

शत्रुञ्जय कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक, (मा०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-२

विषय:- प्रदेश में संचालित राजकीय इण्टर कालेज (बालक) में सह शिक्षा की व्यवस्था लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना।

लखनऊ: दिनांक १४ जून, 2017

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सा०(१)शि०/१५३३/२०१७-१८, दिनांक १७.०५.२०१७ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत वर्तमान सामाजिक परिवेश एवं परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त राजकीय इण्टर कालेज (बालक) में बालिकाओं के प्रवेश (सह शिक्षा) की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तददिनांक-

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

अपर शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उ०प्र० इलाहाबाद।

✓ २ समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०। (द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक)

३. गार्डफाइल।

भवदीय,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।